



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072020-220659
CG-DL-E-23072020-220659

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2020/श्रावण 1, 1942

No. 2137]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2020/SHRAVANA 1, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2020

का.आ. 2422(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वर्ष 2020 के जुलाई माह के 24वें दिन से, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, चल और अचल, दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का अर्जन करने, उनको धारण करने और उनका निपटान करने और अनुबंध करने की शक्तियों के साथ उक्त नाम द्वारा शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुहर वाले एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित करती है तथा जो उक्त नाम से वाद दायर करेगा या वाद दायर करेगा।

2. केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा. सं. जे-9/11/2019-सीपीयू]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2020

S.O. 2422(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) and with effect from the 24th day of July, 2020, the Central Government hereby establishes the Central Consumer Protection Authority as a body corporate by the said name having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall, by the said name, sue or be sued.

2. The Central Authority shall have its headquarter at New Delhi.

[F. No. J-9/11/2019-CPU]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.